

22.11.2021 पंजावली आज पेश हुई। प्रार्थी के अधिकार रखें प्रार्थी को  
हस न्यायालय द्वारा तीन-तीन बार आवाज लगाई गई लेकिन  
प्रार्थी के अधिकार उपस्थित नहीं हुए रखें न ही प्रार्थी उपस्थित  
हुआ। अतः प्रार्थी को मह प्रार्थना पत्र आत्म धीजिरी रखें आत्म  
वेरकी में खारिज किया जाता है।

(भजवती प्रसाद)  
जिला कलेक्टर, सिरौही

